उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार 24 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1924
(दिनांक : 14 जून, 2002)

समय : 11:00 बजे पूर्वाहन्

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी "क")।
2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी "ख")।
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरूद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।
5. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
6. कार्य-स्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
7. श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री प्रकाश पंत, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री सुरेश चन्द जैन, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारीः-

   "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को 75 लाख से बढ़ा कर 1 करोड़ कर दिया जाय।"
8. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारीः-

   "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार मे अर्द्ध कुम्भ, 2004 में अस्थायी निर्माण के स्थान पर स्थायी निर्माण कार्य कराये जांय।"
9. श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारीः-

   "इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिये उद्योगों का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जांय।"

--2

10. श्री प्रकाश पंत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारीः-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243 (क) से 243 (य) (च) के प्राविधानों के अनुसार इसी सत्र में विधि बना ली जाय।"

11. श्री काशी सिंह ऐरी, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारीः-

"यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि सबके लिए शिक्षा योजना की भाँति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना बना कर प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाये जांय।"

12. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरणः-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
1. श्री प्रकाश पंत	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रतिवर्ष होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को तीर्थ यात्रा मार्ग के रूप में विकसित किया जाए।"
2. श्री मातबर सिंह कण्डारी	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाय।"
3. श्री मदन कौशिक	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र "हरि की पैड़ी", गंगा तट को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त रखा जाए।"
4. श्री अजय भट्ट	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अल्मोड़ा में छावनी परिषद, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र (सिविल एरिया) को नगर पालिका बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।"
5. श्रीमती विजय बड़थ्वाल	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र, यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल की चार पट्टियों विचलाढांगू, मल्लाढांगू (द्वारीखाल) और तल्लाढांगू व मल्ला उदयपुर (यमकेश्वर) को मिलाकर अलग विकास खण्ड जाखणीखाल बनाया जाए।"

13. नियम 103 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाय।"

14. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

15. जनपद देहरादून में कोटी में अरबों रुपये की लागत से बने सिंचाई विभाग के भवनों की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य।

16. उत्तरांचल राज्य लोक सेवा आयोग में परीक्षा नियंत्रक की स्थायी नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नारायण सिंह जंतवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2002 को दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य।

17. जन-गण-मन। (देखिए नत्थी "ग")

आज्ञा से,

देहरादून
दिनांक : 14 जून, 2002

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी (ग)

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।

भारत–भाग्य–विधाता।।

पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा

द्राविड़–उत्कल–बंग।

विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,

उच्छल–जलधि–तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,

भारत–भाग्य–विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।

उत्तरांचल विधान सभा

अनुपूरक कार्यसूची

शुक्रवार 24 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1924
(दिनांक : 14 जून, 2002)

5-क उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-''अ'')

12-क(अ). पंचायती राज मंत्री उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

(ब). पंचायती राज मंत्री उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।

(स). पंचायती राज मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(ड). पंचायती राज मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

ख(अ). मुख्य मंत्री देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

(ब). मुख्य मंत्री देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।

(स). मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(ड). मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

ग. पशुपालन मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

''जबकि, उत्तरांचल विधान सभा यह विचार करती है कि उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 से संबंधित अथवा उसके सहायक प्रासंगिक सभी मामलों के लिए एक कानून होना वांछनीय है;

और जबकि, ऐसे कानून की विषयवस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II में प्रविष्टि 15 में बताये गए विषय से सम्बद्ध है;

और जबकि, संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथाप्रदत्त को छोड़कर उपरोक्त सूची-II में प्रविष्टि 15 में बताये गए विषय से संबंधित राज्यों के लिए ऐसे कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है;

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 से संबंधित संघ और राज्य दोनों सरकारों की ओर से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद लागू है;

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को उत्तरांचल राज्य में लागू किया जाना वांछनीय महसूस किया जा रहा है;

अतएव, अब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 से संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों को उत्तरांचल राज्य के लिए अंगीकार कर लिया जाए।"

आज्ञा से,

देहरादून
दिनांक : 14 जून, 2002

(महेश चन्द्र)
सचिव।

नत्थी "अ"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 जून, 2002 की बैठक में दिनांक 14 जून, 2002 के उपवेशन का कार्यक्रम नियमों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित मदों को भी जोड़े जाने की सिफारिश की हैः-

जून, 2002

14 शुक्रवार

(1) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन।

(2) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।

(3) देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन।

(4) देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।

(5) उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 से संबंधित संकल्प को अंगीकृत किये जाने के संबंध में निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरणः-

"जबकि, उत्तरांचल विधान सभा यह विचार करती है कि उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 से संबंधित अथवा उसके सहायक प्रासंगिक सभी मामलों के लिए एक कानून होना वांछनीय है;

और जबकि, ऐसे कानून की विषयवस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II में प्रविष्टि 15 में बताये गए विषय से सम्बद्ध है;

और जबकि, संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथाप्रदत्त को छोड़कर उपरोक्त सूची-II में प्रविष्टि 15 में बताये गए विषय से संबंधित राज्यों के लिए ऐसे कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है;

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 से संबंधित संघ और राज्य दोनों सरकारों की ओर से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद लागू है;

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को उत्तरांचल राज्य में लागू किया जाना वांछनीय महसूस किया जा रहा है;

अतएव, अब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 से संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों को उत्तरांचल राज्य के लिए अंगीकार कर लिया जाए।"

उत्तरांचल विधान सभा

(अनुपूरक कार्यसूची)

5-क उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"**क**")

12-क(अ). पंचायती राज मंत्री उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

(ब). पंचायती राज मंत्री उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।

(स). पंचायती राज मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(ड). पंचायती राज मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

4-ख(अ). मुख्य मंत्री देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

(ब). मुख्य मंत्री देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।

(स). मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(ड). मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

5-ग. पशुपालन मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"जबकि, उत्तरांचल विधान सभा यह विचार करती है कि उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 से संबंधित अथवा उसके सहायक प्रासंगिक सभी मामलों के लिए एक कानून होना वांछनीय है;

और जबकि, ऐसे कानून की विषयवस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II में प्रविष्टी 15 में बताये गए विषय से सम्बद्ध है;

और जबकि, संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथाप्रदत्त को छोड़कर उपरोक्त सूची-II में प्रविष्टी 15 में बताये गए विषय से संबंधित राज्यों के लिए ऐसे कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है;

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 से संबंधित संघ और राज्य दोनों सरकारों की ओर से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद लागू है;

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को उत्तरांचल राज्य में लागू किया जाना वांछनीय महसूस किया जा रहा है;

अतएव, अब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 से संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों को उत्तरांचल राज्य के लिए अंगीकार कर लिया जाए।"

आज्ञा से,

देहरादून
दिनांक : 14 जून, 2002

(महेश चन्द्र)
सचिव।

नत्थी "क"

<u>कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 जून, 2002 की बैठक में दिनांक 14 जून, 2002 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-</u>

<u>जून, 2002</u>

14 शुक्रवार	(1) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन। (2) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण। (3) देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन। (4) देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण। (5) उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 से संबंधित संकल्प को अंगीकृत किये जाने के संबंध में निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण। "जबकि, उत्तरांचल विधान सभा यह विचार करती है कि उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 से संबंधित अथवा उसके सहायक प्रासंगिक सभी मामलों के लिए एक कानून होना वांछनीय है; और जबकि, ऐसे कानून की विषयवस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II में प्रविष्टी 15 में बताये गए विषय से सम्बद्ध है; और जबकि, संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथाप्रदत्त को छोड़कर उपरोक्त सूची-II में प्रविष्टी 15 में बताये गए विषय से संबंधित राज्यों के लिए ऐसे कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है; और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 से संबंधित संघ और राज्य दोनों सरकारों की ओर से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद लागू है; और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को उत्तरांचल राज्य में लागू किया जाना वांछनीय महसूस किया जा रहा है; अतएव, अब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 से संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों को उत्तरांचल राज्य के लिए अंगीकार कर लिया जाए।"